न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 39 / 2024

श्री सूरज सिंह निवासी प्लॉट नं. 30 / 15 / 8, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर जिला जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव भू. अ. शाखा कलेक्ट्रेट, टोंक

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> दिनांक 24.09.2024

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 15.05.2024 को प्रेषित / प्रस्तुत करने पर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 251–52 दिनाक 20.05.2024 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट, टोंक व लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, सतर्कता शाखा, कलेक्ट्रेट, टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

श्रीमान् का ध्यान प्रार्थी के प्रासंगिक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.09.2023 एव स्मरण पत्र दिनांक 18.10.2023 एवं 22.12.2023 की ओर आकृर्षित कर की गई कार्यवाही की सूचना प्रदान करने हेतु निवेदन हैं कि राजस्व ग्राम उनियारा जिला टोंक के नामान्तरण संख्या 395 जो कि राजस्व कर्मियों ने भंवरलाल पुत्र मदनलाल से मिलकर विधि विपरित फैसल करवाकर जमाबन्दी में अमल करवा लिया हैं के सम्बन्ध में जांच कराई जा कर दोषी कर्मियों के विरूद्ध उचित नियमानुसार अनुशानात्मक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करने हेतु श्रीमान् से निवेदन किया गया था। चूंकि आज दिनांक तक उक्त भंवरलाल एवं राजस्व कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई हैं एवं नामान्तकरण संख्या 395 को निरस्त नहीं किया गया। इस कार्य में की गई आपके द्वारा समस्त कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट, टोंक व लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, सतर्कता शाखा, कलेक्ट्रेट, टोंक को पत्र कमांक 1079–80 दिनांक 05.08.2024, 1143–44 दिनांक 14.08.2024 व लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट, टोंक को कमांक 1222 दिनांक 29.08.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया।

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, सतर्कता शाखा, कलेक्ट्रेट, टोंक ने पत्र कमांक 1664 दिनांक 16.08.2024 व लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट, टोंक ने पत्र कमांक 3865 दिनांक 04.09.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 1517 दिनांक 10.07.2024 (सतर्कता शाखा) व पत्र कमांक 2489 दिनांक 07.06.2024 (भू–अभिलेख शाखा) से सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, सतर्कता शाखा, कलेक्ट्रेट, टोंक व लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट, टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक